राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(3) बैठक / न्याय / 2022 जयपुर, दिनांक 12.09.2022

अतिरिक्त मुख्य सचिव /
शासन प्रमुख सचिव / शासन सचिव।

विषयः—न्यायिक प्रकरणों के संबंधित जिलों में अंतरण के संबंध में।

महोदय / महोदया,

लाईट्स सॉफ्टवेयर में विभिन्न विभागों के राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर के ऐसे प्रकरण जो कि संबंधित जिलों में दर्ज न होकर जयपुर एवं जोधपुर जिलें में दर्ज है, को संबंधित जिलों में अंतरण पर विचार विमर्श हेतु विभिन्न विभागों / निगमों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2022 को किया गया, जिसमें निम्न अनुशंषाओं पर सहमति व्यक्त की गई :—

1. विभागों के पर्यवेक्षण की आंतरिक स्थिति यथावत रहेगी।
2. लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज विभाग के न्यायिक प्रकरणों को संबंधित विभागों द्वारा उस जिलें में अंतरित किया जायेगा, जिस जिलें से उक्त प्रकरण संबंधित है।
3. जिलें के वरिष्ठतम अधिकारी संबंधित जिलें के जिला कलक्टर / जिला नोडल अधिकारी द्वारा आयोजित प्रत्येक बैठक में उपस्थित होकर प्रकरण की प्रगति से अवगत करायेगें।

उक्त अनुशंषा अति. मुख्य सचिव, न्याय के स्तर से अनुमोदित है।

आपसे अनुरोध है, कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपि :— समस्त जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन विशिष्ट सचिव